

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.)।

## दुर्गा माता मन्दिर

क्र.सं.		
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी दुर्गा माता मन्दिर
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (प्रशासन) – मन्दिर के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करना (ख) मन्दिर पुजारी :- सेवा पूजा का कार्य व मन्दिर की देख-रेख।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(प्रशासन) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	निर्धारित मन्दिर के कार्यों का निर्वहन मापदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए मन्दिर के समस्त कार्यों को करवाना जैसे मन्दिर परिसर की साफ सफाई एवं रखरखाव एवं जारी एस.ओ.पी. के अनुसार कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	निदेशक आरपीए द्वारा नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"><li>● स्टॉक रजिस्टर</li><li>● उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश पत्रावली</li></ul>
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (प्रशासन), फोन नं0 0141-2302131 पी.बी.एक्स. नं0 -504.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।

14	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट।
15	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) को दिये गये आवेदन पर दिए गए निर्देशानुसार।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी
17	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।